



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:05.04.2026

थाना चुनार व जमालपुर पुलिस टीम द्वारा गो-तस्करी के अभियोग में वांछित/फरार चल रहे ₹ 25-25 हजार के इनामियां 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गये हैं।

थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-600/2025 धारा 109,325,338,336(3) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आयुध अधि. में वांछित/फरार चल रहे ₹25,000/- के इनामियां अभियुक्त अब्दुल साहिद पुत्र महिबुल्ला निवासी ग्राम दिलाही खैराही थाना कर्मा जनपद सोनभद्र को 01 अदद 315 बोर तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-93/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग में वांछित/फरार चल रहे ₹25,000/- के इनामियां अभियुक्त शकील अंसारी पुत्र कमरुद्दीन अंसारी निवासी तोरी थाना भगवानपुर जनपद भभुआ, बिहार को थाना जमालपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चुनार व जमालपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार इनामियां अभियुक्तगण—

1. अब्दुल साहिद पुत्र महिबुल्ला निवासी ग्राम दिलाही खैराही थाना कर्मा जनपद सोनभद्र, उम्र 37 वर्ष।
2. शकील अंसारी पुत्र कमरुद्दीन अंसारी निवासी तोरी थाना भगवानपुर जनपद भभुआ, बिहार, उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग—

(अब्दुल साहिद)

मु0अ0सं0- 130/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चुनार, जनपद मीरजापुर।

मु0अ0सं0-600/2025 धारा 109,325,338,336(3) बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

(शकील अंसारी)

मु0अ0सं0-93/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चुनार मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक विजय शंकर सिंह मय पुलिस टीम थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।


